ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :–

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का **विस्तृत पाठ्यक्रम** निर्धारित अंकों सहित निम्नानुसार है :–

स. क्र.	विषय	कुल प्रश्न	अंक
1	भारत का संविधान	5	5
2	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908	20	20
3	संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882	7	7
4	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872	8	8
5	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963	6	6
6	परिसीमा अधिनियम, 1963	4	4
7	म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961	5	5
8	म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959	5	5
9	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	15	15
10	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	15	15
11	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973	15	15
12	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881	5	5
13	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	4	4
14	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015	3	3
15	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	3	3
16	सामान्य ज्ञान	10	10
17	कम्प्यूटर ज्ञान	10	10
18	अंग्रेजी ज्ञान	10	10
कुल		150	150

नोटः–1. कुछ प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख/नवीनतम निर्णयों एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की पूर्ण पीठ के निर्णयों पर आधारित हो सकते हैं।

2. उक्त सभी अधिनियमों से, जैसे कि विज्ञापन के प्रकाशन की दिनांक तक संशोधित हों, प्रश्न पूछे जा सकेंगे।

(5) <u>ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की प्रक्रिया</u> :–

(1) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा हेतु 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के (बहुविकल्पीय) पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 (चार) संभावित उत्तर/विकल्प होंगे, जिन्हें हल करने हेतु कुल 120 मिनट (2 घंटे) का समय दिया जायेगा।

Live Law ACADEMY

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–

(अ) प्रथम प्रश्न पत्र (संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया) का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–

1. भारत का संविधान
2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
3. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
4. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
5. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
6. परिसीमा अधिनियम, 1963

(ब) द्वितीय प्रश्न पत्र (लेखन एवं संक्षेपण) का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–

1. लेख, सामाजिक विषय पर – 20 अंक
2. लेख, विधिक विषय पर – 20 अंक
3. संक्षेपण (विधिक) – 20 अंक
4. अनुवाद, हिन्दी से अंग्रेजी – 20 अंक
5. अनुवाद, अंग्रेजी से हिन्दी – 20 अंक

(स) तृतीय प्रश्न पत्र (स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया) का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–

1. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
4. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (अध्याय 13 एवं अध्याय 17)
5. म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959
6. म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

(द) चतुर्थ प्रश्न पत्र (निर्णय लेखन) का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–

1. विवाद्यकों का स्थिरीकरण – 10 अंक
2. आरोप विरचना – 10 अंक
3. निर्णय लेखन (सिविल) – 40 अंक
4. निर्णय लेखन (दांडिक) – 40 अंक

नोट– 1. सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के उत्तर एक ही भाषा हिन्दी या अंग्रेजी में लिखने होंगे।

2. संक्षेपण के लिए अभ्यर्थी को दिये गये आलेख का लगभग एक तिहाई शब्दों में संक्षेपण करना होगा।

3. उपर्युक्त समस्त प्रश्न पत्र आवश्यकतानुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे। हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के प्रश्नों में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर अंग्रेजी भाषा का पाठ मानक माना जायेगा।

4. सभी प्रश्न–पत्रों की उत्तर–पुस्तिकाओं की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय उसी प्रश्न का क्रमांक उत्तर पुस्तिका में लिखना आवश्यक है जिसका उत्तर दिया जा रहा है।

5. अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करेंगे। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक अथवा ऐसा कोई चिन्ह अंकित नहीं करेंगे, जिससे कि अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से पृथक किया जा सके या अलग से पहचान की जा सके।

6. अभ्यर्थी प्रश्न पत्र में निर्दिष्ट किये गये किसी न्यायालय, पक्षकार, साक्षी अथवा किसी व्यक्ति के नाम से भिन्न किसी नाम का उल्लेख नहीं करेंगे। न्यायालय के नाम के स्थान पर हिन्दी में "क ख ग....." अथवा "अ ब स....." तथा अंग्रेजी में " A B C....." अथवा " X Y Z ....." का उल्लेख किया जा सकेगा।

   संदर्भ से अन्यथा किसी नाम या पहचान का उल्लेख सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा और ऐसा करना अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार हो सकेगा।

7. अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देते समय M.P Rules & Order (Criminal), M.P. Civil Court Act, 1958 व M.P. Civil Court Rules, 1961 के प्रावधानों का पालन किया जाना अपेक्षित है।

(5) **मुख्य परीक्षा का परिणाम :–**

1. मुख्य परीक्षा में **अनारक्षित वर्ग** एवं **अन्य पिछड़ा वर्ग** के अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा **अनुसूचित जाति** एवं **अनुसूचित जनजाति** के अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक एवं सभी चार प्रश्न पत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चारों प्रश्न पत्रों के सम्मिलित अंकों के आधार पर मेरिट बनायी जायेगी। वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए सफल घोषित किये जायेंगे, जिनमें प्रत्येक वर्ग की मेरिट में अंतिम सफल अभ्यर्थी के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी भी शामिल होंगे भले ही सफल अभ्यर्थियों की संख्या इस कारण 1:3 के अनुपात से अधिक हो जाये।

ग– साक्षात्कार

(1) **साक्षात्कार :–** मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार 50 अंक का होगा। अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित होने के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने के संबंध में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश का निर्णय अंतिम होगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए निरर्हित माना जाएगा। अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेजों की मूल/प्रमाणित प्रतियों को साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।

(2) **अंतिम चयन का आधार** :– पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा एवं मौखिक/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम परिणाम तैयार किया जावेगा। प्रत्येक वर्ग में अंक बराबर होने की दशा में साक्षात्कार में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। साक्षात्कार में भी समान अंक होने पर उम्र की वरीयता चयन का आधार होगी।

(3) प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा में अंकों की पुनर्गणना अथवा प्रश्नों/ प्रश्न पत्र के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः इस विषय में प्राप्त समस्त आवेदनों/अभ्यावेदनों को स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(4) प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने हेतु नियत न्यूनतम अंकों की सीमा को शिथिल करने के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और ऐसे आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

Live Law ACADEMY